उत्तर प्रदेश शासन

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

संख्या 412/ स0 15-9-09-25 (35)-04

लखनऊ, 15 जनवरी, 2010

अधिसूचना मुख्य बिन्दु

*अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय तीन के विनियम 99 के 1 व 2 के अनुसार अवकाश -

1) आकस्मिक अवकाश

(2)अर्जित अवकाश

(3)चिकित्सा अवकाश

(4)व्यक्तिगत कार्य हेतु अवकाश (यह अवकाश अर्द्ध वेतन पर मिलता है)

(5) असाधारण अवकाश (यह अवकाश बिना वेतन का है)

महिला प्रधानाचार्य एवं शिक्षिकाओं को उक्त अवकाशों के अलावा निम्नलिखित अवकाश और देय हैः-

(1) प्रसूति अवकाश

(2) बाल्य देखभाल अवकाश,

विशेष - (1) प्रधानाचार्य और शिक्षकों/शिक्षिकाओं को समान अवकाश मिलते है, प्रधानाचार्य को ग्रीष्मकालीन अवकाश में पृथक से कोई अन्य अवकाश, जैसे अर्जित/उपार्जित अवकाश नहीं देय हैं।

(2) उक्त वर्णित सभी अवकाश ,उतनी अवधि के लिये तथा उन प्रतिबन्धों के अधीन देय होते है, जो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को देय होते हैं।

प्रबन्धकीय विद्यालय में प्रधानाचार्य अपने अधीनस्थ का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करेगा ।

प्रबन्धक प्रधानाचार्य का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करेगा।

शेष सभी प्रकार के अवकाश को प्रबन्धक स्वीकृत करेगा।

माध्यमिक संस्कृत शिक्षक के लिये निर्धारित अवकाश का नाम तथा समय-

1. अर्जित अवकाश 01.2 दिन । गणना एक वर्ष के लिए 01 दिन होगी।

2. चिकित्सीय अवकाश सम्पूर्ण सेवाकाल में पूर्ण औसत वेतन पर 1 वर्ष ।

3. निजी कार्य पर अवकाश- सम्पूर्ण सेवाकाल में 365 दिन।

4. मातृत्व (प्रसूति) अवकाश - 180 + 180 + विशेष परिस्थिति में 180 दिन। कुल मातृत्व / प्रसूतिकालीन अवकाश 540 दिन।

5. गर्भपात अवकाश – 6 सप्ताह।

6. बाल्यकाल देखभाल अवकाश - सम्पूर्ण सेवाकाल में 730 दिन

7. असाधारण अवकाश – 5 वर्ष

8. विशेष विकलांगता अवकाश – चिकित्सा परिषद् की संस्तुति पर 24 माह

09. लघुकृत अवकाश – निजी कार्य पर अवकाश से संचित का आधा

10. आकस्मिक अवकाश अधिकतम 14 दिन प्रति वर्ष।

11. प्रतिकर अवकाश – छुट्टी के दिन अतिरिक्त कार्य सम्पादन हेतु बुलाये जाने पर।